

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

5-1-23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 14-3-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

2
14/23

उभय पक्ष उपस्थित नहीं हैं। अधिकारी राजकीय कार्य से बाधित हैं। पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-3-23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

14/23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वीकार करने से पत्रावली दिनांक 28-3-23 को पेश हो।

28-3-23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शावपठ किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाज दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके पिकर एक तरफ कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थिया का शावपठ स्वीकार किया जाकर निर्णय सचक से लिखा जाकर शावपठ दिया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर अन्तर से रुम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 14/23 प्रा०पत्र

1- श्रीमती कमलेश/श्री मोहनलाल/श्री गोपालसोनी गिपासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

श्री मोहन/श्री गोपालसोनी गिपासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल
राजस्थान बाध्य जरिए तहसीलदार सा. माण्डल तहसील-माण्डल

-दिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्राथी से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
 भगवानपुरा.....पटवार हल्का.....भगवानपुरा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की
 4990, 5495, 5456 कुल किता..... 03.....रकबा.....1.0117.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
 392, 392, 392 के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
 समें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16-01-23.....को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को
 से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
 वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
 न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....भगवानपुरा.....पटवार
 भगवानपुरा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....4990/392, 5495/392, 5456/392
 03.....रकबा.....1.0117.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये
 रगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....भगवानपुरा
 1/-रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे
 को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर
 की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
 जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा